

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना।

- आदेश
सं० सं०-4/फार्मा-14-03/2019 440(4) पटना, दिनांक-8/3/19
- श्री पंकज कुमार, फार्मासिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाम्हो अकहाकुरहा, बेगूसराय के द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन के आलोक में श्री पंकज कुमार की प्रतिनियुक्ति अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया के अधीन किया जाता है।
2. प्रतिनियुक्त कर्मी को पत्र निर्गत के 48 घंटे के अंदर विरमित कर दिया जाय, अन्यथा स्वतः विरमित समझे जाएगे।
 3. प्रतिनियुक्त कर्मी के वेतनादि का भुगतान उनके प्रतिनियुक्ति स्थल से उपलब्ध कराये गये अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर मूल पदस्थापित संस्थान से की जायेगी।
 4. उक्त आदेश में प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग की सहमति प्राप्त है।

8/3/19
(डॉ० आर० डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।

- सं० सं०-4/फार्मा-14-03/2019 440(4) /स्वा०, पटना, दिनांक-8/3/19
- प्रतिलिपि-अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया/सिविल सर्जन, बेगूसराय/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाम्हो अकहाकुरहा, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि-श्री पंकज कुमार, फार्मासिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाम्हो अकहाकुरहा, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण) के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-04 को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि-आई०टी० मनेजर, स्वास्थ्य विभाग को निदेशित है कि इस आदेश को विभागीय साईड पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

8/3/19
निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।